रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 84] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 1999/आश्विन 12, 1921
No. 84] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 1999/ASVINA 12, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1999

फा.सं. टी ए एम पी/5/99-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार तूतीकोरिन पत्तन न्यास के केन्द्रीय प्रलेखन केन्द्र में सरकारी अभिकरणों के लिए किराए का निर्धारण करता है ।

मामला सं० टी ए एम पी/5/99-टीपीटी

दी तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) .....आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 1999 के 24वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला तूतीकोरन पत्तन न्यास (टीपीटी) द्वारा प्रेषित एक प्रस्ताव से संबंधित है, जिसमें मानक किराए के 50% के नाममात्र मासिक किराए जो कि 17.50 रूपए प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह और कमरों के लिए मीटर पठन के अनुसार विद्युत प्रभारों के आधार पर सरकार के सेवा अभिकरणों को केन्द्रीय प्रलेखन केन्द्र में पत्तन-स्थल का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

2. यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10 अप्रैल,97 को आयोजित पत्तन प्रयोक्ताओं की बैठक के दौरान पत्तन प्रयोक्ताओं ने निर्यात सुविधा और निर्यात प्रलेखन से जुड़े निम्नलिखित कुछ कार्यालयों की सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की थी, जैसे कि :-

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय का कार्यालय
(ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सपरोसिल)
(iii) सिंथेटिक एवं रेयन वस्त्र संवर्धन परिषद (सरटेटिक)
(iv) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ऐपक)

3. यह प्रस्ताव विदेश व्यापार महानिदेशालय, टेक्सपरोसिल, सरटेटिक और ऐपक को परिचालित किया गया था । टेक्सपरोसिल ने उल्लेख किया है कि टीपीटी भवन की स्थितियां उनके लिए उपयुक्त नहीं है । ऐपक ने उल्लेख किया है कि वे टीपीटी में कोई स्थान लेने के इच्छुक नहीं है । सरटेटिक और एमपीडा तथा केमेक्सिल टीपीटी द्वारा किए गए प्रस्ताव के लिए सहमत हो गए है ।

4. चूंकि, यह प्रस्ताव टीपीटी से निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के हित में है और प्रयोक्ताओं को स्वीकार्य है, इसलिए इस मामले में संयुक्त सुनवाई आयोजित करने की सामान्य प्रक्रिया को आवश्यक नहीं समझा गया है ।

5. तद्नुसार, सरकारी सेवा अभिकरणों को केन्द्रीय प्रलेखन केन्द्र में स्थान आबंटित करने के लिए मानक किराए के 50% का मासिक किराया (जो इस समय 17.50 रूपए प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह बैठता है) और विद्युत प्रभारों की वसूली करने के लिए टीपीटी के प्रस्ताव का एतद्द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

एस० सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1999

F. No.TAMP/5/99-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the rent for Government agencies in the Central Documentation Centre of the Tuticorin Port as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/5/99-TPT

The Tuticorin Port Trust .....**Applicant**

ORDER

(Passed on this 24th day of September, 1999)

This case relates to a proposal sent by the Tuticorin Port Trust (TPT) for allotment of Port accommodation in the Central Documentation Centre to service agencies of the Government at a nominal monthly rent of 50% of the standard rent which will be Rs. 17.50 per sq. mtr. per month plus electricity charges as per meter reading for the rooms.

2. It has been stated that during the port-users meeting held on 10 April 97, port-users expressed difficulty in getting the services of some of the offices concerned with export facilitation and export documentation like the following :

(i). Office of the Directorate General of Foreign Trade.
(ii). The Cotton Textile Export Promotion Council (TEXPROCIL).
(iii). Synthetic and Rayon Textile Promotion Council (SRTETC).
(iv). Apparel Export Promotion Council (AEPC).

3. The proposal was circulated to the Directorate General of Foreign Trade, TEXPROCIL, SRTETC & AEPC. The TEXPROCIL have stated that the conditions of building of the TPT is not suited to them. The AEPC have stated that they are not

interested to take any space at the TPT. The SRTETC as well as MPEDA & CHEMEXCIL have agreed to the offer made by the TPT.

4. As the proposal is in the interest of facilitating exports from the TPT and is acceptable to the users, the usual process of conducting a joint hearing in this case is not considered necessary.

5. Accordingly, the proposal of the TPT to charge a monthly rent of 50% of the standard rent (which presently comes to Rs. 17.50 per sqr. mtr. per month) plus electricity charges for allotment of accommodation in the Central Documentation Centre of the Port to governmental service agencies is hereby approved.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/IV/Exty/143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.